

अध्याय I: परिचय

1.1 प्रतिवेदन के सम्बन्ध में

प्रतिवेदन रक्षा मंत्रालय और इसके निम्नलिखित संगठन के वित्तीय लेन-देन की अनुपालन लेखा परीक्षा से उत्पन्न मामलों से सम्बन्धित है:-

- भारतीय वायुसेना (आई ए एफ)
- भारतीय नौसेना (आई एन)
- भारतीय तटरक्षक
- रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी) और मुख्यता भारतीय वायुसेना/भारतीय नौसेना को समर्पित इसकी प्रयोगशालायें
- भारतीय वायुसेना/भारतीय नौसेना से सम्बन्धित रक्षा लेखा विभाग
- भारतीय वायुसेना/भारतीय नौसेना से सम्बन्धित सैन्य अभियन्ता सेवाएं

वायुसेना से सम्बन्धित लेन देन की लेखापरीक्षा कार्यालय प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा, वायुसेना {पी डी ए (ए एफ) }, नई दिल्ली द्वारा की जाती है और नौसेना/तटरक्षक से सम्बन्धित लेन देन की लेखा परीक्षा कार्यालय प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा, नौसेना, {पी डी ए (एन)}, मुम्बई द्वारा की जाती है।

इन दो कार्यालयों द्वारा तीन भिन्न प्रकार की लेखापरीक्षा निष्पादित की जाती है: वित्तीय लेखा परीक्षा, अनुपालन लेखा परीक्षा तथा निष्पादन लेखा परीक्षा।

वित्तीय लेखा परीक्षा में एक स्वतंत्र सत्ता के वित्तीय विवरणों की समीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि वित्तीय विवरणों में कोई गलत आँकड़ा नहीं दिया गया और यह स्पष्ट और सही विवरण दे रहे हैं।

अनुपालन लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षण की जा रही स्वतन्त्र सत्ता के व्यय, प्राप्ति, संपत्ति और दायित्व के लेन-देन की जांच यह सुनिश्चित करने के लिए करता है कि क्या भारत के संविधान के प्रावधानों, लागू होने योग्य कानून, नियम, विनियम और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विभिन्न आदेश व निर्देशों का पालन किया गया है।

निष्पादन लेखा परीक्षा एक स्वतंत्र सत्ता के कार्यक्रम, प्रकार्य, प्रचालन एवं प्रबन्धकीय प्रणाली की एक गहन परीक्षा है जो कि यह निर्धारित करती है कि क्या स्वतंत्र सत्ता उपलब्ध संसाधनों के नियोजन में मितव्ययिता, कुशलता एवं प्रभावशीलता प्राप्त कर रही है।

यह प्रतिवेदन अनुपालन लेखा परीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों पर है और इसमें प्रतिवेदन में पूंजी और राजस्व अधिग्रहण के सम्बन्ध में निष्कर्ष, प्रणाली की प्रतिस्थापना/उन्नयन और निर्माण कार्य सेवाओं आदि का समावेश होता है। इस प्रतिवेदन में समीक्षित मामलों का कुल वित्तीय मूल्य ₹3291.87 करोड़ है। प्रतिवेदन में देश के सम्पूर्ण रक्षा बजट के एक भाग के रूप में वायु सेना, नौसेना, आर एण्ड डी (वायु सेना और नौसेना से सम्बन्धित) तथा तटरक्षक पर किए गए व्यय का सूक्ष्म वित्तीय विश्लेषण भी सम्मिलित है।

1.2 लेखा परीक्षा हेतु प्राधिकार

भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवाओं की स्थिति) अधिनियम 1971 लेखापरीक्षा के क्षेत्र और सीमा को नियंत्रित करता है। लेखा परीक्षण का विस्तृत विवरण तथा प्रतिवेदन “लेखा परीक्षा और लेखे के विनियम 2007” में निहित है।

1.3 लेखा परीक्षा की योजना व आचरण

लेखा परीक्षा हेतु केंद्रित क्षेत्र को आधार-भूत प्रचलित इकाइयों में जोखिम के विश्लेषण से अति महत्वपूर्णता के आधार पर निर्धारित करके प्राथमिकता दी जाती है। किया गया व्यय, परिचालन महत्वपूर्णता, पिछले लेखापरीक्षा परिणाम तथा आंतरिक नियंत्रित मामले मुख्य तथ्यों में आते हैं जो कि जोखिमों की परिशुद्धता निर्धारित करते हैं। यह प्रयोग वार्षिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम के नियमन का मार्ग निर्धारण करती है। लेखापरीक्षा हेतु चयन की गई इकाइयों की संख्या, उपलब्ध संसाधनों के साथ अत्यन्त जोखिम क्षेत्रों का मेल कराते हुए निर्धारित की जाती है। इसके अतिरिक्त, उच्च-मूल्य पूंजी अधिग्रहण और अधिप्राप्तियों का लेखा परीक्षण विशेष संवैधानिक समर्पित दलों द्वारा किया जाता है।

सामान्यतः, किसी भी लेखा परीक्षा प्रक्रिया में प्रारम्भिक स्तर में लेखापरीक्षा की जा रही इकाई के साथ परस्पर संवाद को प्रोत्साहित किया जाता है। लेखापरीक्षा निष्कर्ष, लेखा परीक्षा कार्य के अंत में विचार विमर्श के दौरान सूचित किए जाते हैं तथा स्थानीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/मामलों के विवरण के रूप में लिखित माध्यम से आगे बढ़ाए जाते हैं। लेखा परीक्षण की जा रही इकाई की प्रतिक्रिया पर विचार किया जाता है तथा परिणाम या तो लेखापरीक्षा प्रेक्षण का

निपटान या आगामी लेखापरीक्षा चक्र में अनुपालन हेतु संदर्भित किया जाता है। अति गंभीर अनियमितताओं में से कुछ को लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल करने हेतु संशोधित की जाती हैं जो कि संसद के प्रत्येक सदन में उनको प्रस्तुत करने से पहले, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाते हैं।

वर्तमान में, इन दोनों कार्यालयों की लेखा परीक्षा में 920 इकाईयाँ¹ समाविष्ट हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान, 10813 मानक दिवसों² में 187 इकाईयों/फॉर्मेशना³ का लेखा परीक्षण किया गया था।

1.4 आंतरिक नियंत्रण तथा आंतरिक एवं बाह्य लेखापरीक्षा के मध्य समन्वय

रक्षा मंत्रालय के वित्तीय विभाग का प्रधान सचिव (रक्षा/वित्त)/ वित्तीय सलाहकार (रक्षा सेवाएं) (एफ ए डी एस) होता है जो कि रक्षा मंत्रालय को दिए जाने वाले सभी प्रस्तावों के वित्तीय निरीक्षण, पुनरीक्षण, सलाह तथा सहमति के लिए उत्तरदायी होता है। एफ ए डी एस साथ ही आंतरिक लेखापरीक्षा तथा रक्षा व्यय की गणना करने के लिए भी उत्तरदायी होता है। आंतरिक वित्तीय सलाह दोनों ही सेना मुख्यालय स्तर पर तथा साथ ही कमान मुख्यालय एवं अन्य इकाईयों के स्तरों पर उपलब्ध कराई जाती है। रक्षा लेखा विभाग के प्रमुख, महानियंत्रक रक्षा लेखा (सी जी डी ए) जो कि रक्षा मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार के अधीन कार्य करता है, के द्वारा किए गए सामयिक आंतरिक लेखा परीक्षा को पुनः आंतरिक वित्तीय नियंत्रण द्वारा सहायता दी जाती है। प्रधान नियंत्रक रक्षा लेखा, वायु सेना और नौसेना, सी जी डी ए के अधीन कार्य करता है, क्रमानुसार देहरादून और मुंबई में स्थित है। वे आंतरिक लेखापरीक्षा, इकाई स्तर पर वित्तीय सलाह तथा वायु सेना और नौसेना/तटरक्षक इकाईयों से प्राप्त सभी कार्मिक दावों, आपूर्तिओं एवं प्रदत्त सेवाओं के बिलों, निर्माण, मरम्मत कार्यों विविध शूल्कों आदि के बिलों की जाँच, भुगतानों और लेखा विधि के लिए उत्तरदायी हैं।

आंतरिक लेखापरीक्षा से यह अपेक्षित है कि वह रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया, नियमावलियों, कोड आदि में प्रतिज्ञापित नियमों, प्रक्रियाओं तथा विनियमों को लागू करने के लिए, सुनिश्चित करें। पी डी ए (ए एफ) और पी डी ए (एन) कार्यालय सक्रियता से लेखा परीक्षण एवं जांच पड़ताल

¹ 920 यूनिटों में से 398 आई ए एफ की है एवं 522 भारतीय नौसेना की हैं।

² 10813 मैनडेज में से वायु सेना कार्यालय ने 6195 मैनडेज उपयोग किया तथा नौसेना कार्यालय ने 4618 मैनडेज का उपयोग किया।

³ वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा की गई 187 यूनिटों में से 111 यूनिट (वायु सेना मुख्यालय में 8 निदेशालय) आई ए एफ के तथा 76 भारतीय नौसेना के हैं।

में आंतरिक लेखापरीक्षा से सहयोग तथा समन्वय चाहता है। आंतरिक लेखा परीक्षकों को 100 प्रतिशत जाँच करनी पड़ती है। बाह्य/सांविधिक लेखा परीक्षा अपनी लेखा परीक्षण नमूना जाँच के आधार पर करता है। स्थानीय लेखापरीक्षा के आधार पर बाह्य लेखापरीक्षा द्वारा बनाया गया निरीक्षण प्रतिवेदन (आइ आर) को लेखा परीक्षण की जा रही इकाई तथा साथ ही साथ उनके आंतरिक लेखा परीक्षकों अर्थात् रक्षा लेखा विभाग, को जारी किया जाता है। ये आइ आर आंतरिक लेखा परीक्षकों की राय सुनिश्चित करने के बाद अपने तार्किक निष्कर्षों के आधार पर जारी किये जाते हैं। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किए जाने वाले प्रस्तावित ड्राफ्ट पैराग्राफों को रक्षा सचिव को प्रेषित किया जाता है। साथ ही साथ, सी जी डी ए को भी एक प्रति अग्रेषित की जाती है। एफ ए डी एस द्वारा जांचने करने के बाद ही मंत्रालय अपना प्रत्युत्तर उपलब्ध कराता है।

1.5 लेखा परीक्षा की गई इकाइयों की रूपरेखा

1.5.1 संगठन -आधारभूत उत्तरदायित्व

रक्षा मंत्रालय वित्त विभाग से विचार विमर्श करके सभी रक्षा सम्बन्धी मामलों पर शीर्ष स्तरीय नीतियाँ बनाता है। मंत्रालय को चार विभागों में बांटा गया है, नाम इस प्रकार हैं, रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, अनुसंधान और विकास विभाग तथा भूतपूर्व सैनिकों के कल्याणार्थ विभाग। प्रत्येक विभाग का प्रधान एक सचिव होता है। रक्षा सचिव रक्षा विभाग के प्रधान के रूप में कार्य करता है तथा साथ ही उन विभागों के कार्यकलापों से समन्वय बनाने के लिए भी उत्तरदायी होता है।

भारतीय वायु सेना का प्रधान वायुसेना अध्यक्ष होता है। वायुसेना मुख्यालय (एयर एच क्यू) भारतीय वायु सेना का शीर्ष अंग तथा प्रमुख प्रबन्धकीय संगठन है। आई ए एफ के चरम और समग्र प्रशासकीय, परिचालन, वित्तीय, तकनीकी रखरखाव तथा नियंत्रण वायु मुख्यालय पर निर्भर है। आई ए एफ की परिचालन एवं रख-रखाव सम्बन्धी इकाई सामान्यतया विगों और स्क्वाड्रनों, संकेतक इकाइयों, बेस मरम्मत डिपो तथा उपस्कर डिपो में संस्थित है।

भारतीय नौसेना का प्रधान नौसेना अध्यक्ष होता है। नौसेना मुख्यालय (एन एच क्यू) भारतीय नौसेना का शीर्ष अंग तथा प्रमुख प्रबन्धकीय संगठन तथा नौसेना के कमान, नियंत्रण और प्रशासकीय कार्यों के लिए उत्तरदायी है। भारतीय नौसेना की परिचालन और प्रबन्धकीय इकाई-युद्ध पोतों एवं पनडुब्बियों बंदरगाहों, नौसैनिक जहाज मरम्मत यार्डों, उपकरण डिपो तथा सामग्री संगठनों में संस्थित हैं।

तटरक्षक देश के विशाल समुद्रीय तटों तथा समुद्रतटीय सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु गठित किया गया था। महानिदेशक तटरक्षक, तटरक्षक का सामान्य निरीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण कार्य सम्पादित करता है।

सैन्य अभियंता सेवाएं (एम ई एस) विस्तृत सरकारी निर्माण एजेन्सियों में से एक है। एम ई एस का प्रधान इंजीनियर-इन-चीफ होता है। एम ई एस सशस्त्र सेनाओं की संविदाएं करने, निर्माण कार्य सेवाओं को लागू करने तथा विद्यमान भवनों के रख रखाव हेतु उत्तरदायी है। यह सेना मुख्यालय के इंजीनियर-इन-चीफ शाखा के अधीन कार्य करता है।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन सेवाओं द्वारा निर्धारित शस्त्र प्रणालियों एवं उपस्कर के निर्माण की रूपरेखा और विकास को अभिव्यक्त जरूरतों तथा गुणात्मक आवश्यकताओं के अनुसार, कार्यान्वित करता है। कुछ प्रयोगशालाएं विशिष्टतया वायु सेना एवं नौसेना को समर्पित हैं जैसे कि गैस टरबाइन एवं अनुसंधान स्थापना (जी टी आर ई), विद्युतकीय एवं रेडार विकास स्थापना, (एल आर डी ई) वाहित प्रणाली केन्द्र (सी ए बी एस) नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला (एन एस टी एल), नौसेना भौतिक और समुद्र-विज्ञान प्रयोगशाला, (एन पी ओ एल) और नौसेना सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला (एन एम आर एल) आदि। साथ ही ये संगठन सेवा मुख्यालय को वैज्ञानिक सलाह देते हैं। ये रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के अधीन कार्य करते हैं।

रक्षा लेखा विभाग का प्रधान रक्षा लेखा महानियंत्रक है, जो कि सशस्त्र सेना को वित्तीय सलाह एवं रक्षा सेवाओं की प्राप्तियां और व्यय के लेखों की गणना तथा साथ ही साथ रक्षा पेंशन की सेवा उपलब्ध कराता है।

1.6 लेखा परीक्षा की उल्लेखनीय आपत्तियां

कई वर्षों से लेखा परीक्षा ने रक्षा खण्ड के भारतीय वायु सेना, भारतीय नौ सेना, भारतीय तट रक्षक तथा समर्पित आर एण्ड डी परियोजनाओं से सम्बन्धित अति नाजुक क्षेत्रों पर अपनी राय दी है। इन आपत्तियों के प्रत्युत्तर में रक्षा मंत्रालय ने अपनी ओर से कई उपाय किए हैं। इसलिए अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यवाही करने के तौर पर मुख्यतया रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया और रक्षा अधिप्राप्ति नियम पुस्तिका का प्रारंभ तथा उनका लगातार नवीनीकरण है।

वर्तमान प्रतिवेदन रक्षा मंत्रालय के साथ-साथ सेवा संगठनों द्वारा पूंजीगत और राजस्व दोनों श्रेणियों के अंतर्गत अपनाई गई अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण कमियों/त्रुटियों को उजागर करती है। प्रतिवेदन ऐसे मामलों को उजागर करती है जहाँ निर्दिष्ट प्रक्रियाओं का विचलन

हुआ है। अधिप्राप्ति प्रक्रिया में उचित योजना, कारगर मूल्य समझौता एवं उचित मानीटरिंग का अभाव था। उच्च मूल्य के पूँजी व्यय के मामले में एच ए एल द्वारा 14 साल बीतने के बाद भी प्रशिक्षक वायुयान के विकास एवं आपूर्ति में विलम्ब से पायलटों का चरण-II प्रशिक्षण बुरी तरह से प्रभावित हुआ था (पैराग्राफ 2.1)। एस ए आर एवं ई ओ/आई आर पॉड की पर्याप्त संख्या की अधिप्राप्ति न होने के कारण ₹129.62 करोड़ की कीमत पर खरीदे गये चार मोबाइल ग्राउन्ड संदोहन स्टेशन रेकी मिशन (पैराग्राफ 2.2) हेतु प्रयुक्त नहीं हो सका। बेड़ा आशोधन योजना के साथ ए सी एम आई के एकीकरण एवं अधिप्राप्ति के समकालिकता न होने के कारण ₹167 करोड़ की कीमत पर अधिप्राप्त उपकरण प्रणाली (पैराग्राफ 2.3) के शैल्फ जीवनकाल के दौरान प्रशिक्षण प्रयोजन हेतु पूर्ण रूप से संदोहन नहीं होगा। टारपीडो “डब्ल्यू” की अधिप्राप्ति में ₹82 करोड़ का निवेश नौसेना (पैराग्राफ 2.4) की परिचालन तैयारी को प्रभावित करने के अतिरिक्त अलाभप्रद रहा। दूसरा मामला वायुयान को उड़ाने योग्य बनाने में सी हैरियर प्रशिक्षु की मरम्मत में थोड़ा- थोड़ा करके अनुशरण करना था, जिसके परिणाम स्वरूप ₹6.26 करोड़ का व्यय अलाभप्रद रहा क्योंकि पूर्णों के अभाव वायुयान बेमरम्मत रहे (पैराग्राफ 4.3)।

महत्वपूर्ण व्यय वाले मामले पर भी प्रतिवेदन प्रकाश डालता है जिसमें या तो अधिप्राप्ति योजना में एक रूपता के अभाव के कारण अभिप्रेत उद्देश्य की प्राप्ति में असफल रहा या अधिप्राप्ति विलम्ब से हुई। संविदा में मरम्मत प्रक्रिया के वैधीकरण हेतु समय सीमा के निर्धारित न होने के कारण, आई ए एफ मशीन की अधिप्राप्ति पर ₹5 करोड़ के निवेश से कोई लाभ नहीं उठ सका। जिसके परिणाम स्वरूप, आई ए एफ ने मरम्मत (पैराग्राफ 3.1) पर ₹5.14 करोड़ का परिहार्य व्यय किया। ₹3.49 करोड़ की कीमत पर अधिप्राप्त तीन डी एम पी एस का पिछले तीन वर्षों (पैराग्राफ 3.4) से उपयोग नहीं किया जा रहा था। सामग्री संगठन, विशाखापत्तनम् में लेखा परीक्षा ने पाया कि यद्यपि अधिप्राप्ति दर संविदा के अन्तर्गत किया गया था, एम ओ (वी) ने प्रमाण के थोड़ी-थोड़ी आपूर्ति के लिए जोर नहीं दिया जिससे अधिप्राप्ति अधिक हुई, एवं परिणामतः बिना किसी उपयोग (पैराग्राफ 4.6) के ₹1.68 करोड़ मूल्य के आइटम की प्रयोग की अवधि समाप्त हो गई। दूसरे मामले में कामप्लेक्स के टाईप ‘ए’ नाजुक पूर्णों की अधिप्राप्ति की प्रक्रिया में उचित सतर्कता के अभाव ने उनके अधिप्राप्ति को विलम्बित किया जिसके परिणामस्वरूप नौसेना के पनडुब्बियों के रखरखाव/संदोहन पर प्रभावी परिणाम रहा। अन्ततः मार्च 2007 में परियोजित पूर्णों ₹2.94 करोड़ अतिरिक्त कीमत व्यय करते हुए केवल अगस्त 2010 में संविदा किये गये (पैराग्राफ 4.4)।

अनेक मामलों पर प्रकाश डाला जा चुका है जहाँ विभाग के उपर अधिक सतर्कता की आवश्यकता है। अत्यावश्यकता के अनुचित निर्धारण के कारण आई ए एफ ने 100 ब्रेक पैराशूटों (पैराग्राफ 3.5) के आयात पर ₹12.66 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया। सीमित

शेल्फ जीवनकाल के बावजूद एक समय में तीन वर्षों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु रंगीन डाई के सम्पूर्ण परिमाण के आयात के निर्णय के परिणामस्वरूप ₹4.51 करोड़ (पैराग्राफ 3.6) की परिहार्य हानि हुई। एच पी टी - 32 बेड़े के खड़े होने के बावजूद सिम्युलेटर हेतु वार्षिक अनुरक्षण संविदा को जारी रखने के वायु सेना मुख्यालय के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण ₹0.92 करोड़ (पैराग्राफ 3.11) परिहार्य व्यय हुआ। गलत तरीके से आपूर्त पूर्जों के प्रतिस्थापन हेतु विसंगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने में बेस मामत डिपो की असफलता के फलस्वरूप ₹1.45 करोड़ (पैराग्राफ 3.2) की हानि हुई। अनुमान के निर्धारण (पैराग्राफ 3.3) के दौरान अध्यवशाय की कमी के कारण छः ए पी यू की मरम्मत एवं ओवरहॉल पर आई ए एफ ने ₹1.69 करोड़ का परिहार्य व्यय किया। नौसेना ने इस आधार पर कि मेमरी कार्ड पूर्ण लोडेड एवं टाइप सॉफ्टवेयर हेतु विशेष था, मेमरी कार्ड एक रिजल्टटैन्ट एकल टेन्डर से अधिप्राप्त असाधरण ऊँचे दर पर किया। इसके परिणामस्वरूप ₹1.10 करोड़ (पैराग्राफ 4.5) का परिहार्य व्यय हुआ। तटरक्षक के पास भी सतर्कता का आभाव था, जहाँ एक मामले में तटरक्षक ने प्लैट के अपने अधिग्रहण में रक्षा मंत्रालय द्वारा संस्वीकृत शर्तों के साथ महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत भुगतान के शर्तों के साथ समायोजन नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹3.74 करोड़ के विलम्ब शुल्क का भुगतान करना पड़ा एवं भुगतान की प्रक्रिया में विलम्ब के कारण ₹0.98 करोड़ का परिहार्य भुगतान करना पड़ा (पैराग्राफ 5.1)।

कई मामलों पर प्रकाश डाला गया है जहाँ विभाग के उपर निर्णय लेने में अधिक सतर्कता एवं तेजी की आवश्यकता थी। भण्डार निदेशालय (वायु सेना मुख्यालय) के लेखा परीक्षा के दौरान लेखा परीक्षा ने घटिया/अप्रमाणित उड़न वस्त्रों का प्रावधान तथा राजस्व का लोक निधि खाते में जमा नहीं करने से सम्बन्धित मामला देखा। मंत्रालय के अनुमोदन/स्कलिंग के बिना कुछ भण्डार की अनियमित अधिप्राप्ति के अनेक मामले भी थे। आई ए एफ को ईंधन की अधिप्राप्ति में फॉल क्लॉज के लागू न करने के कारण ₹713.09 करोड़ की हानि हुई और शीघ्र भुगतान छूट का लाभ लेने में असफलता के कारण ₹9.58 करोड़ की हानि। लेखा परीक्षा के दृष्टान्त पर आई ए एफ को इकठ्ठा ए टी एफ की अधिप्राप्ति पर छूट प्राप्त करने के द्वारा ₹107 करोड़ की बचत हुई (पैराग्राफ 3.7)। आई ए एफ में हवाई सुरक्षा की लेखा परीक्षा के दौरान, लेखा परीक्षा ने देखा कि लड़ाकू वायुयान में दुर्घटना की प्रतिशतता बढ़ी थी। तकनीकी त्रुटि एवं मानव गलती हवाई दुर्घटना के मुख्य कारण थे। मूल प्रशिक्षु वायुयान मध्यम जेट प्रशिक्षु एवं अग्रिम जेट प्रशिक्षु/सिम्युलेटर के सम्पूर्ण दस्ते के अप्राप्यता के कारण पायलटों के प्रशिक्षण से समझौता हुआ। कोर्ट ओफ इन्क्वैरी (सी ओ आई) के निपटान में विलम्ब के फलस्वरूप पेंशन से सम्बन्धित लाभ के निपटान दुर्घटना रोकने हेतु उपचारात्मक उपायों के लागू करने एवं वायुयान दुर्घटना/घटना की क्षति के नियमितिकरण में विलम्ब हुआ (पैराग्राफ 3.8)। आई ए एफ में हथियार एवं उपकरण के भण्डारण तथा इनवेन्टरी होल्डिंग की लेखा परीक्षा के दौरान, लेखा परीक्षा ने देखा कि भण्डारण शेड हेतु कार्य निर्माण की स्वीकृति में विलम्ब के मामले थे और

जगह परिवर्तन के कारण क्रियान्वयन में विलम्ब से समय तथा लागत बढ़ गये। लेखा परीक्षा ने यह भी देखा कि कुछ भण्डार खुले क्षेत्र में रखे जा रहे, एयरो इंजन के भण्डारण हेतु पी एस यू पर निर्भरता, आग बुझाने वाले उपकरण की कमी एवं अग्निशमक दल की कमी, भण्डार शेड के सीपेज/रसाव की मरम्मत में विलम्ब के परिणामस्वरूप भण्डार को दूसरे शेडों में स्थानान्तरित करना पड़ा (पैराग्राफ 3.9)। तटरक्षक कर्मियों को दिये गये ₹1.10 करोड़ से अधिक के कुल अग्रिम की सामयिक वसूली में लैप्स थे। ये लैप्स प्रधान नियंत्रक रक्षा लेखा (नौसेना), मुम्बई के कार्यालय में प्रणालीय कमी के कारण थे जिसे यदि प्रणाली में कमी को ठीक करने के लिए समय पर कार्यवाही की गई होती तो, टाला जा सकता था (पैराग्राफ 5.3)।

संविदा के शर्तों के उल्लंघन तथा निर्देशों की अवहेलना के मामले भी रिपोर्ट किये गये हैं। भारतीय तटरक्षक मुख्यालय (आई सी जी एच क्यू) लिखित नीति के विचलन में, मेसर्स गोआ शिपयार्ड लिमिटेड (जी एस एल) से अतिरिक्त आनबोर्ड पुर्जे (ओ बी एस) अधिप्राप्त करना चाहा। वेसल्स की सुपुर्दगी के पश्चात् तथा अव्यवित निधि जहाज निर्माता के पास लगभग 5 वर्ष तक पड़े रहने देना, ₹1.19 करोड़ की निधि को रोके रखा। लेखा परीक्षा के दृष्टान्त पर बकाया अग्रिम पर ₹56.53 लाख ब्याज वसूल किया गया (पैराग्राफ 5.2)। दूसरे मामले में आई एन एस चीता के लिए लिए मुख्य इंजन के एक सीट के क्रय हेतु वर्तमान संविदा में प्राप्त रिपीट आर्डर विकल्प के अभ्यास न करने से ₹0.70 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ (पैराग्राफ 4.2)। पाईपलाइन के मिलान पर तटरक्षक तथा नौसेना के बीच समन्वय के अभाव पर भी रिपोर्ट में प्रकाश डाला जाता है जिससे अप्रैल 2004 से आवश्यक इंजन के पाईपलाइन के अप्राप्यता के अलावा ₹2.20 करोड़ व्यर्थ हो गये (पैराग्राफ 4.10)।

रिपोर्ट में लेखा परीक्षा के दृष्टान्त पर की गई वसूली पर भी प्रकाश डालता है जहाँ कबाड़ विक्रय की प्राप्ति तुरन्त जमा करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप ₹39.23 लाख का इक्ठ्ठा ब्याज मेसर्स मझगांव डाक लिमिटेड (मेसर्स एम डी एल) से लेखा परीक्षा के दृष्टान्त पर वसूला गया (पैराग्राफ 4.7)। मर्दों के गलत मूल्यांकन के कारण ₹1.55 करोड़ लेखा परीक्षा के दृष्टान्त पर वसूले/बचाये गये (पैराग्राफ 4.8)।

रिपोर्ट निर्माण सेवाओं को मजबूत करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। मार्च 2010 में ₹20.21 करोड़ की कीमत पर पूर्वी मरीन कमांडो हेतु एडवान्स्ड प्रशिक्षण सुविधा की (एम ए आर सी ओ एस) आवश्यकता थी। यद्यपि सिविल निर्माण कार्य तथा विशेष मर्दों के प्रावधान के तालमेल के कारण ₹6.98 करोड़ का विशेष कार्य रहा। ऐसी सुविधा जो अब भी प्राप्त नहीं है एम ए आर सी ओ एस के प्रशिक्षण को प्रभावित कर रही है (पैराग्राफ 4.9)।


1.7 वायुसेना और नौसेना से सम्बन्धित वित्तीय पहलू

भारत का रक्षा बजट विस्तृत रूप से राजस्व और पूंजी व्यय के अन्तर्गत श्रेणीबद्ध है। राजस्व व्यय में वेतन एवं भत्ते, भण्डार, परिवहन तथा निर्माण कार्य सेवाएं आदि सम्मिलित हैं जबकि पूंजी व्यय में नए शस्त्रों एवं गोला बारूद का अधिग्रहण और अप्रचलित भण्डारों को प्रतिस्थापन करने में आने वाला व्यय समावेशित है।

रक्षा व्यय वर्ष 2011-12 में ₹1,75,898 करोड़ की तुलना में वर्ष 2012-13 में 6.58 प्रतिशत की दर से ₹1,87,469 करोड़ तक बढ़ गया। वर्ष 2012-13 में रक्षा सेवाओं के कुल व्यय में वायु सेना और नौसेना की हिस्सेदारी क्रमशः ₹51,118 करोड़ तथा ₹29,879 करोड़ थी जो कि संयुक्त रूप से कुल व्यय का लगभग 43.21 प्रतिशत भाग संस्थापित होता है।

1.7.1 रक्षा व्यय

रक्षा व्यय में, जिसका उपरोक्त चित्रण किया गया है, सेवानिवृत्त रक्षा कार्मिकों को भुगतान की गई तथा रक्षा लेखा संगठन, रक्षा राज्य संगठन, रक्षा मंत्रालय का सचिवालय तथा रक्षा जलपान गृहों तथा तट रक्षक संगठन पर किए गए व्यय सम्मिलित नहीं है। जी डी पी के प्रतिशत के रूप में, रक्षा व्यय इस अवधि में 1.98 प्रतिशत से 1.81 प्रतिशत तक नीचे की ओर झुका हुआ दर्शाता है।



2014 की प्रतिवेदन संख्या 34 (वायु सेना एवं नौसेना)

इतिवृत्त, राजस्व व्यय रक्षा बजट का बहुत बड़ा भाग होता है। कुल रक्षा व्यय में से राजस्व रक्षा व्यय की सहभागिता 2010-11 में 60.90 प्रतिशत से 2012-13 में 62.39 प्रतिशत तक बढ़ गयी, जबकि इन्ही वर्षों की अवधि में पूंजीगत व्यय की सहभागिता 39.10 प्रतिशत से 37.61 प्रतिशत तक कम हो गई जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

रक्षा व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वार्षिक व्यय			पिछले वर्ष से बढ़ा प्रतिशत	सी.जी.ई. के प्रतिशत के रूप में व्यय @	जी.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	योग			
2010-11	96,667	62,056	1,58,723	08.87	12.87	1.98
2011-12	1,07,996	67,902	1,75,898	10.82	13.10	1.90
2012-13	1,16,970	70,499	1,87,469	6.58	12.89	1.81

@ सी.जी.ई. - केन्द्र सरकार का व्यय

1.7.2. वायु सेना और नौसेना का व्यय

वर्ष 2010-13 के बीच भारतीय वायु सेना और नौसेना द्वारा किया गया कुल व्यय कुल रक्षा बजट के 41.62 एवं 43.21 प्रतिशत के मध्य वर्गीकृत किया गया है। वर्ष 2012-13 में पिछले वर्षों की तुलना में वायु सेना का व्यय ₹46,134 करोड़ से ₹51,118 करोड़ तक 10.80 प्रतिशत की दर से बढ़ा तथा नौसेना का व्यय 4.45 प्रतिशत की दर से ₹31,270 करोड़ से ₹29,879 करोड़ तक कम हो गया। रक्षा व्यय का वितरण निम्नलिखित तालिका में वर्णित है:-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	रक्षा व्यय का वितरण						
	थल सेना	वायु सेना	नौसेना	आयुध फैक्टरी	आर. एण्ड डी	अन्य	योग
2010-11	80,830	38,782	27,285	1,532	10,197	97	1,58,723
2011-12	86,803	46,134	31,270	1,717	9,938	36	1,75,898
2012-13	94,500	51,118	29,879	2,104	9,863	5	1,87,469

1.7.3 वायु सेना का व्यय

वायु सेना के व्यय का विस्तृत सारांश निम्नवत् है-

वायु सेना का व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	योग	पिछले वर्ष से परिवर्तित प्रतिशत	कुल रक्षा व्यय के प्रतिशत के रूप में व्यय	राजस्व	पूंजीगत
2010-11	38,782	(+)16.60	24.43	15,179	23,603
2011-12	46,134	(+)18.96	26.23	17,322	28,812
2012-13	51,118	(+)10.80	27.26	18,138	32,980

1.7.3.1 पूंजीगत व्यय


वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान वायु सेना का पूंजीगत व्यय लगभग 39.73 प्रतिशत से बढ़ गया। पूरी अवधि में, पूंजीगत व्यय 2010-11 में ₹23,603 करोड़ से 2012-13 में ₹32,980 करोड़ बढ़ा।

भारतीय वायु सेना का पूंजीगत व्यय मुख्यतः नए वायुयान के अधिग्रहण तथा विद्यमान वायुयान के आधुनिकीकरण/उन्नयन में हुआ था। पिछले तीन वर्षों में (2010-11 से 2012-13) भारतीय वायुसेना के लिए विभिन्न श्रेणियों में व्यय का औसत वार्षिक वितरण तालिका व ग्राफ में नीचे प्रदर्शित है:-

पूंजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वायुयान व एयरो इंजन	निर्माण कार्य	अन्य उपस्कर	विविध	योग
2010-11	16,094	1,158	6,039	312	23,603
2011-12	20,274	1,153	6,788	597	28,812
2012-13	23,573	1,318	7,399	690	32,980



1.7.3.2 राजस्व व्यय


2010-11 से 2012-13 के दौरान भारतीय वायुसेना का राजस्व व्यय 19.49 प्रतिशत की दर से वर्ष 2010-11 के ₹15,179 करोड़ से वर्ष 2012-13 में ₹18,138 करोड़ हो गया। क्रमशः भारतीय वायुसेना का राजस्व व्यय मुख्यतः सामग्रियों और विशेष परियोजनाओं, परिवहन, निर्माण कार्य और वेतन व भत्तों पर खर्च किया गया। पिछले तीन वर्षों का विभिन्न श्रेणियों में व्यय का औसत वार्षिक वितरण नीचे प्रदर्शित है:-

राजस्व व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वेतन एवं भत्ते	सामग्री एवं विशेष परियोजना	निर्माण कार्य	परिवहन	विविध	योग
2010-11	6,856 (45%)	5,775 (38%)	1,692 (11%)	620 (4%)	236 (2%)	15,179
2011-12	7,532 (44%)	6,931 (40%)	1,800 (10%)	763 (4%)	296 (2%)	17,322
2012-13	8,378 (46%)	7,038 (39%)	1,775 (10%)	611 (3%)	336 (2%)	18,138

2012-13 के दौरान पूंजीगत और राजस्व व्यय के प्रवाह को नीचे दर्शाया गया है:-



व्ययों की संमीक्षा से प्रकट हुआ कि मार्च 2013 में भारतीय वायुसेना के राजस्व व्यय में वृद्धि हुई थी। इस माह (मार्च 2013) में भारतीय वायुसेना ने राजस्व व्यय का 11.76 प्रतिशत खर्च किया।

1.7.4 भारतीय नौसेना का व्यय

नौसेना के व्यय का विस्तृत सारांश निम्नवत है-

नौसेना का व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	योग	पिछले वर्ष से परिवर्तित प्रतिशत	कुल रक्षा व्यय के प्रतिशत के रूप में	राजस्व	पूंजीगत
2010-11	27,285	(+) 18.96	17.19	10,145	17,140
2011-12	31,270	(+)14.60	17.78	12,059	19,211
2012-13	29,879	(-)4.45	15.94	12,119	17,760

2014 की प्रतिवेदन संख्या 34 (वायु सेना एवं नौसेना)

वर्ष 2011-12 की तुलना में भारतीय नौसेना का 2012-13 में कुल व्यय 4.45 प्रतिशत कम रहा। यह कमी 2012-13 के दौरान घटे पूँजी व्यय के कारण था। कुल व्यय 2011-12 में ₹31,270 करोड़ से 2012-13 में ₹29,879 करोड़ कम हो गया।


1.7.4.1 पूँजीगत व्यय

2012-13 के दौरान नौसेना का पूँजीगत व्यय लगभग 7.56 प्रतिशत तक कम हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में मुख्यतः वायुयान एवं एयरो इंजन की अधिप्राप्ति शीर्ष के अन्तर्गत कम व्यय के कारण कमी थी। भारतीय नौसेना हेतु गत तीन वर्षों (2010-11 से 2012-13) के लिए भिन्न-भिन्न वर्गों पर व्यय का औसत वार्षिक वितरण ग्राफ के साथ-साथ नीचे तालिका में दर्शाया है:

पूँजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	नौसैनिक बेड़े	नौसैनिक बन्दरगाह	वायुयान तथा एरो-इंजन	निर्माण कार्य	अन्य उपस्कर	अन्य	योग
2010-11	10,620	720	3,187	637	1,578	398	17,140
2011-12	10,320	648	4,336	515	2,583	809	19,211
2012-13	11,074	752	1,695	527	2,773	939	17,760



1.7.4.2 राजस्व व्यय



वर्ष 2010-11 से 2012-13 की अवधि में राजस्व व्यय 19.46 प्रतिशत की दर से 2010-11 में ₹10,145 करोड़ से 2012-13 में ₹12,119 करोड़ तक बढ़ गया। नौसेना के राजस्व व्यय को मुख्यतः व्यय भण्डारों और विशेष परियोजना परिवहन, निर्माण कार्य, वायुयान वाहक/जलपोत अन्य युद्ध पोत की मरम्मत/रिफीट, वेतन एवं भत्तों, पर किया गया। पिछले तीन वर्षों में विभिन्न श्रेणियों में व्यय का औसतन वार्षिक वितरण नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

राजस्व व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वेतन एवं भत्ते	सामग्री	निर्माण कार्य	परिवहन	मरम्मत एवं रिफीट	विविध	योग
2010-11	3,731 (37%)	3,437 (34%)	701 (7%)	288 (2%)	606 (6%)	1,382 (14%)	10,145
2011-12	4,508 (37%)	4,173 (35%)	763 (6%)	353 (3%)	768 (6%)	1,494 (12%)	12,059
2012-13	4,697 (39%)	3,982 (33%)	760 (6%)	380 (3%)	654 (5%)	1,646 (14%)	12,119

वर्ष 2012-13 के दौरान पूंजीगत व राजस्व व्यय के प्रवाह को नीचे दर्शाया गया है:



2014 की प्रतिवेदन संख्या 34 (वायु सेना एवं नौसेना)

व्ययों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि मार्च 2013 माह में भारतीय नौसेना द्वारा पूंजीगत व्ययों का एक बड़ा भाग खर्च किया गया। नौसेना ने मार्च 2013 माह में कुल पूंजीगत व्ययों का लगभग 12.61 प्रतिशत और वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में 32.03 प्रतिशत व्यय किया।

1.8 तटरक्षक संगठन



2010-11 से 2012-13 तक की अवधि के दौरान किए गए बजटीय आबंटनों तथा व्यय का सारणीकरण निम्नलिखित है:

तटरक्षक व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्राकलन			अंतिम अनुदान/ विनियोजन	व्यय			बजट प्राकलनों का प्रतिशत जो उपयोग नहीं किया जा सका
	पूंजीगत	राजस्व	योग		पूंजीगत	राजस्व	योग	
2010-11	1,100.00	882.45	1,982.45	2,016.06	1,200.78	813.57	2,014.36	(-)01.61
2011-12	1,600.00	890.94	2,490.94	2,532.88	1,575.38	925.84	2,501.22	(+)0.41
2012-13	1,620.00	906.63	2,526.63	2,525.41	1,564.71	945.35	2,510.06	(-) 0.66

वर्ष 2012-13 के दौरान पूंजीगत व राजस्व व्यय के प्रवाह को नीचे दर्शाया गया है:



व्ययों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि मई 2012 एवं मार्च 2013 माह में तटरक्षक द्वारा पूंजीगत व्ययों का एक बड़ा भाग खर्च किया गया। तटरक्षक ने केवल मार्च 2013 माह में कुल पूंजीगत व्ययों का लगभग 19.1 प्रतिशत और वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में 40.6 प्रतिशत व्यय किया। यह तटरक्षक द्वारा अपनाये गये कमजोर वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है। यह भी देखा गया कि राजस्व व्यय का 34.40 प्रतिशत वित्तीय वर्ष के अन्तिम तिमाही में व्यय किया गया परन्तु राजस्व व्यय का 17.17 प्रतिशत केवल माह मार्च 2013 में खर्च किया गया।

1.9 वायु सेना, नौसेना तथा तटरक्षक की प्राप्तियाँ

2012-13 को समाप्त तीन वर्षों की अवधि में वायु सेना एवं नौसेना तथा तटरक्षक से सम्बन्धित प्राप्तियाँ तथा पुनः प्राप्तियों का विवरण जो कि उन्होंने अन्य संगठनों/विभागों की सेवाओं में उपलब्ध कराए थे, नीचे सारणी में दिए गए हैं:

राजस्व प्राप्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वायु सेना, के सम्बन्ध में प्राप्ति तथा वसूली	नौसेना के सम्बन्ध में प्राप्ति तथा वसूली	तट रक्षक के सम्बन्ध में प्राप्ति तथा वसूली
2010-11	592.92	175.00	13.33
2011-12	619.38	200.00	06.73
2012-13	605.26	200.00	34.41

1.10 विनियोजन एवं व्यय

वायु सेना तथा नौसेना के सम्बन्ध में 2010-11 से 2012-13 की अवधि में विनियोजन एवं व्यय की सारांशीकृत स्थिति को निम्नांकित सारणी में प्रतिबिम्बित किया गया है:-

विनियोजन एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

	अंतिम अनुदान	वास्तविक व्यय	कुल अधिव्यय/ बचत (+) / (-)	अंतिम अनुदान	वास्तविक व्यय	कुल अधिव्यय/ बचत (+) / (-)	अंतिम अनुदान	वास्तविक व्यय	कुल अधिव्यय/ बचत (+) / (-)
वायु सेना									
राजस्व	2010-2011			2011-12			2012-13		
पास्ति	15,802.41	15,177.70	(-) 624.71	16,753.53	17,321.43	(+)567.90	18,322.87	18,122.50	(-)200.37
भारित	2.13	1.00	(-) 1.13	3.23	0.58	(-)2.65	6.18	15.54	(+)9.36
पूँजीगत									
पास्ति	23,537.99	23,575.91	(+) 37.92	28,253.82	28,766.24	(+)512.42	32,729.64	32,976.34	(+)246.70
भारित	26.77	27.66	(+) 0.89	51.36	45.84	(-)5.52	5.70	3.77	(-)1.93
कुल	39,369.30	38,782.27	(-) 587.03	45,061.94	46,134.09	(+)1,072.15	51,064.39	51,118.15	(+)53.76
नौ सेना									
राजस्व	2010-2011			2011-12			2012-13		
पास्ति	10,002.52	10,141.36	(+)138.84	12,335.02	12,057.82	(-)277.2	12,741.82	12,095.95	(-)645.87
भारित	7.45	3.33	(-)4.12	11.91	0.91	(-)11.00	13.20	22.77	(+)9.57
पूँजीगत									
पास्ति	16,898.32	17,136.09	(+) 237.77	17,920.69	19,210.86	(+)1,290.17	17,057.74	17,753.62	(+)695.88
भारित	6.95	4.08	(-)2.87	1.45	0.66	(-)0.79	8.68	6.26	(-)2.42
कुल	26,915.24	27,284.86	(+)369.62	30,269.07	31,270.25	(+)1,001.18	29,821.44	29,878.60	(+)57.16

प्रत्येक तीन वर्षों के रक्षा सेवाओं के विनियोजन लेखों का विश्लेषण, संघ सरकार लेखे, सम्बन्धित वर्षों के भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित हैं।

1.11 लेखा परीक्षा का प्रभाव

1.11.1 ड्राफ्ट आडिट पैराग्राफों पर मंत्रालयों/विभागों का प्रत्युत्तर

लोक लेखा समिति (पी ए सी) की सिफारिशों के आधार पर, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने जून 1960 में सभी मंत्रालयों को अनुदेश जारी किए कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित किए जाने वाले प्रस्तावित ड्राफ्ट आडिट पैराग्राफों पर अपना प्रत्युत्तर छः सप्ताह के अन्दर भेज दें।

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित ड्राफ्ट पैराग्राफों को सचिव, रक्षा मंत्रालय को अर्धशासकीय पत्रों द्वारा अप्रैल 2014 तथा जून 2014 के दौरान भेजा गया। इसमें लेखा परीक्षा निष्कर्षों की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया गया और मंत्रालय से छः सप्ताहों के अन्दर अपना प्रत्युत्तर भेजने का निवेदन किया गया।

लोक लेखा समिति के दृष्टान्त पर वित्त मंत्रालय द्वारा जारी उपरोक्त अनुदेशों के बावजूद रक्षा मंत्रालय ने प्रतिवेदन में सम्मिलित 29⁴ पैराग्राफों में से 26 पैराग्राफों का उत्तर नहीं दिया। अतः, इन पैराग्राफों के बारे में मंत्रालय की टिप्पणी सम्मिलित नहीं की जा सकी।

1.11.2 पूर्व प्रतिवेदनों के लेखा परीक्षा पैराग्राफों पर की गई कार्रवाई

विभिन्न लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में उल्लिखित सभी मामलों के सम्बन्ध में कार्यपालिका की जवाबदेही निश्चित करने हेतु लोक लेखा समिति ने इच्छा व्यक्त की, कि 31 मार्च 1996 और उसके बाद समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में उल्लिखित सभी पैराग्राफों पर संसद में प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने के चार माह के भीतर कार्रवाई टिप्पणी, लेखा परीक्षा द्वारा जाँच कराकर, प्रस्तुत कर दिया जाये।

वायुसेना एवं नौसेना और तटरक्षक के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा पैराग्राफ पर प्रतीक्षित कार्रवाई टिप्पणियों के 30 सितम्बर 2014 के पुनरीक्षण से विदित हुआ कि मंत्रालय ने मार्च 2012 को समाप्त वर्ष तक की लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित सभी पैराग्राफों पर आरम्भ की गई कार्रवाई पर टिप्पणी प्रस्तुत कर दी थी जैसा अनुलग्नक - I में दर्शाया गया है।

1.11.3 निष्कर्ष

पूर्व प्रतिवेदनों के निष्कर्षों के परिणाम स्वरूप रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया में विविध प्रक्रियात्मक परिवर्तन के साथ ही साथ लेखा परीक्षा सत्ता के परिचालन में व्यवस्थित परिवर्तन हुआ। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक वर्ष की लेखा परीक्षा बचतों तथा वसूलियों के रूप में भी परिणाम भी देती है। 2010-11 से 2012-13 तक की अवधि में, ₹33.46 करोड़ की सीमा तक वसूली (चालू लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के सम्बन्ध में ₹2.39 करोड़) तथा ₹5.49 करोड़ (₹1.55 करोड़ चालू वर्षों में) की सीमा तक बचत लेखा परीक्षा के दृष्टान्त पर की गयी।

⁴ इस प्रतिवेदन के अध्याय I में निहित परिचात्मक टिप्पणी को रक्षा मंत्रालय को उनकी टिप्पणी के लिए प्रेषित नहीं किया गया था।